हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 16 अंक : 12 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 दिसम्बर, 2025

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

समता आन्दोलन ने आरक्षण व्यवस्था पर रखे स्पष्ट व मुखर विचार

समता आन्दोलन प्रत्येक वंचित व्यक्ति के साथ खड़ा है: पाराशर नारायण शर्मा

जालोर 14 दिसम्बर। जालोर मुख्यालय पर समता आन्दोलन के समारोह में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा, सलाहकार योगेन्द्र राठौड़, जयपुर संभाग अध्यक्ष ऋषिराज राठौर, जोधपुर सम्भाग अध्यक्ष कैलाश राजपुरोहित और शिक्षा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल विजयवर्गीय ने अपने विचार रखे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण ने अपने उद्बोधन में बताया कि समता आन्दोलन एक समतावादीए राष्ट्रवादी, गैर-राजनीतिक आन्दोलन है जो देश को सभी बुराइयों से मुक्त कर के श्रेष्ठ देश बनाने के लिए संघर्षरत है। हम जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था के विरुद्ध हैं, इस से जातिगत वैमनस्य बढ रहा है और आरक्षण का लाभ वास्तविक वंचितों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

समता आन्दोलन ईडब्ल्यूएस के पांचों मानदंडों का समर्थन करता है तथा इन्हीं मानदंडों को ओबीसी वर्ग में भी लागू करवाने को प्रयासरत है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग में क्रीमिलेयर प्रावधान लागू करवाने और उपवर्गीकरण की व्यवस्था लागू करवाने के लिए भी प्रयासरत है ताकि आरक्षण का लाभ अजा, अजजा के वास्तविक वंचितों तक पहुंच सके।

समता आन्दोलन पदोन्नति में जातिगत आरक्षण को भी समाप्त करवाने को प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में समता आन्दोलन के पक्ष में दिये गये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में पदोन्नति में जातिगत आरक्षण समाप्त किया जा चुका है। समता आन्दोलन हर वर्ग के वंचितों और पिछड़ों के साथ खड़ा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी बताया कि यह भ्रान्ति पूरे देश में फैली हुई है कि एट्रोसिटि एक्ट में एफआईआर दर्ज होने पर गिरफ्तारी अनिवार्य है। वास्तविकता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार के प्रकरण में सख्त आदेश दिए हैं कि सात साल तक की सजा वाले किसी भी अपराध में गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती।

सुप्रीम कोर्ट के यह भी आदेश हैं कि एट्रोसिटि एक्ट में दर्ज फर्जी मुकदमों में अग्रिम जमानत दिया जाना अनिवार्य है। शर्मा ने यह भी बताया कि कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एट्रोसिटि एक्ट में एफआईआर दर्ज होने पर घबराएं नहीं, तत्काल समता आन्दोलन के पदाधिकारियों से सम्पर्क करें, किसी भी सूरत में समझौता नहीं करें, किसी को भी रिश्वत नहीं देवें।

समता आन्दोलन विधायिका में भी जातिगत आरक्षण का विरोध करता है क्योंकि इसके कारण पूरे देश में जातिगत राजनीति हावी हो रही है, विकासवादी राजनीति पिछड़ रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि पंचायतों और निकायों में ओबीसी के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 15 व 16 के अधीन आरक्षण की ओबीसी सूची को काम में लिया जा रहा है, यह पूरी तरह असंवैधानिक है। पंचायतों और निकायों में आरक्षण के लिए सरकार संख्यात्मक आंकड़े एकत्र कर के उन जातियों या समुदायों को आरक्षण देवें जिन्हें स्थानीय सरकारों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। इस फैसले के आधार पर राजस्थान में वैश्य समुदाय के संगठनों को ओबीसी सूची में वैश्य समुदाय को शामिल करने की मांग करनी चाहिए।

अधिवेशन के अंत में जालोर जिला अध्यक्ष गणपत सिंह चौहान परावा ने अधिवेशन के संयोजक श्री चंदन सिंह चंपावत, कार्यकारिणी के सदस्यों, रानीवाड़ा अध्यक्ष श्री भंवर सिंह देवड़ा, तारा चंद जी जोशी, श्री बी पी बोहरा, जालोर ब्लाक अध्यक्ष श्री इन्द्र सिंह राजपुरोहित, गणपत सिंह मंडलावत, सांचोर से तुलसा राम पुरोहित, हरिदत्त श्रीमाली, महेन्द्रसिंह कारोला, चितलवाना से जोगाराम जी राजपुरोहित, राम सिंह चौहान, गंगा सिंह चौहान, डॉ तगाराम राजपुरोहित परावा, प्रताप जी परावा भगवत सिंह परावा , धर्माराम पुरोहित मालवाड़ा, भीनमाल से घेवरचंद, भगवान पुरोहित, आहोर से वगतावर सिंह देवड़ा, गणपत सिंह देवड़ा और अधिवेशन में भाग लेने वाले सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार व्यक्त किया।

हाईकोर्ट ने कहा: आवेदन के समय करना होगा आरक्षण का दावा, बाद में नहीं मिलेगा लाभ

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार आवेदन करते समय आरक्षण का लाभ नहीं चुनता है, तो चयन प्रक्रिया शुरू होने या असफल होने के बाद वह पिछड़ी श्रेणी के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार आवेदन करते समय आरक्षण का लाभ नहीं चुनता है, तो चयन प्रक्रिया शुरू होने या असफल होने के बाद वह पिछड़ी श्रेणी के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। न्यायाधीश रंजन शर्मा की अदालत ने पाया कि विज्ञापन में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया था। आवेदन के साथ कोई ओबीसी प्रमाणपत्र भी संलग्न नहीं किया गया था। एक बार जब याचिकाकर्ता ने स्वयं ओबीसी उम्मीदवार के रूप में आरक्षण का लाभ नहीं लेने का विकल्प चुना और सामान्य श्रेणी में भाग लेकर असफल हो गई, तो उसके पास वापस मुड़ने और ओबीसी पद पर नियुक्ति का दावा करने का न तो कोई अधिकार है और न ही कोई आधार।

बता दें कि याचिकाकर्ता बलजिंदर कौर ने अदालत में प्रतिवादी की नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंध रखती है, इसलिए 2010 के विज्ञापन के अनुसार उसे ओबीसी आरक्षित पद पर नियुक्ति दी जानी चाहिए थी।

कोर्ट ने पाया कि जिस उम्मीदवार को ओबीसी श्रेणी के तहत नियुक्त किया गया था, उसके पास आवश्यक योग्यता और वैध प्रमाणपत्र दोनों थे, इसलिए उनकी नियुक्ति पूरी तरह वैध है। उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी का चुनाव और संबंधित दस्तावेज आवेदन जमा करते समय ही प्रस्तुत करने होंगे।

अध्यक्ष की कलम से

''आज यानि आज''

प्रिय साथियों,

समाज,जाति और धर्म! ये तीनों तीन विधाएं हैं। इनमें से समाज का कोई शरीर नहीं होता। यह पानी की तरह है। जिस पात्र में होता है वैसा ही रूप धारण कर लेता है। लेकिन जाति के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जाति वस्तुत: क्रिया आधारित संज्ञा है जिसे बदला नहीं जा सकता है। कर्म पर निर्भर लोगों का ही नहीं बल्कि नैसर्गिकता के आधार पर भी जाति होती है।

यदि धर्म की बात करें तो यह धरती का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इतना महत्वपूर्ण कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद तत्कालीन यूएनओ चार्टर में प्रत्येक मनुष्य को अपने इच्छित या धर्म परंपरागत धर्म को अपनाने की छूट दी गई है। इसीलिए व्यक्तियों द्वारा शुरू किए गए सम्प्रदायों को भी धर्म का दर्जा विधि सम्मत हो गया जबकि भारत में सनातन धर्म ने शुरू से ही किसी भी धारणा को धर्म मानते हुए उसे मान्यता दी जो अब तक जारी है। समाज और धर्म से ऊपर जाति कब कैसे गिनी जाने लगी इसका कोई सीधा प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है। फिर भी ये माना जा सकता है कि लगभग आठ सौ साल की दासता की बेड़ियों में जकड़े रहे भारत में कर्म आधारित जातिप्रथा मज़बूत होती चली गई। वर्तमान समय में इतिहास की सिर्फ इतनी ही भूमिका रह गई है कि देश कम से कम जाति को दुबारा अधिक बड़ी शक्ति नहीं बनने दे। भविष्य में इसका क्या असर होगा ये तो नहीं कहां जा सकता लेकिन इस प्रक्रिया से संविधान सम्मत जीवन पद्धति को अवश्य ही स्थिरता मिलेगी। कोई भी समय हो कोई भी शासन पद्धति रहे लेकिन अपने आज को अनदेखा करके केवल इतिहास के आधार पर सफल नहीं हो सकता है।

समता आंदोलन भी इसी दिशा में काम करता रहा है और आज भी कर रहा है तथा करता रहेगा।

-जय समता

सम्पादकीय

''सामने दिखाई देता बदलाव''

देश बदल रहा है। धर्म और ज़ात के बंधन से मुक्त होने को तत्पर दिखाई देने लगा है। विशेष कर जाति के आधार पर आरक्षण को और जातीय आधार पर दिए गए सुरक्षा कवच अब तड़कते दिख रहे हैं। हालांकि जाति आरक्षण के खिलाफ विरोध के स्वर सबसे पहले गांधीवादी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय में सुनाई देने शुरू हुए थे और देसाई ने इसे ''अपनी बात कहने का उन्हें हक़ है '' बयान देकर संवैधानिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी। लेकिन उसके बाद 1989 में आई सरकार ने एस सी-एस टी एक्ट लागू करके जातीय आधार आरक्षण को ज़हरीला बना दिया। इसके बाद जो होना था वही हुआ। इस एक्ट के दुरुपयोग की ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई कि यह एक्ट एक आतंक के रूप में स्थाई होता चला गया। निर्दोषों को महिनों ही नहीं सालों जेल में सड़ना पड़ा। बल्कि यह एक्ट धौंसपट्टी का ऐसा हथियार बन गया कि जब देश की सर्वोच्च अदालत ने संविधान की सीमा में कोई सुधार किया तो देश को विरोध की ऐसी आग में झोंक दिया गया कि सरकार को आनन फानन में संविधान संशोधन लाना पड़ा था।

इस विषय में आज स्थिति ये है कि भले ही देश में पांच छ: राष्ट्रीय दल हैं लेकिन मूलत: भाजपा और कांग्रेस ही मुख्य रूप में आमने सामने हैं। अब ख़ास बात ये है कि महात्मा गांधी की विचारधारा पर आधारित निर्पेक्ष रही कांग्रेस पूरी तरह जातीय आधार पर चल रही है और धर्म के आधार पर चल रही भाजपा जाति को हटाने की मंशा पर दिखाई देती है।

इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के उलट पूरी तरह जातीय आधार पर गठित और सफ्ल रहे क्षेत्रीय दल हक़बका गये हैं। इस का कारण ये है कि जात के नाम पर परिवार का वर्चस्व होने से नया नेतृत्व खड़ा नहीं हो सका और मायावती, पासवान, मांझी, कुशवाहा आदि आदि की पार्टियां धीरे धीरे कमज़ोर और अधिक कमज़ोर होती चली गई। जाति आधारित पार्टियों ने डॉ. अम्बेडकर को इतना सम्मान दिया कि उन्हें भगवान के रूप में माना जाने लगा है। इससे जातीयता का ज़हर और और भी गहरा होता चला गया। यहां तक कि मीम और भीम के गठबंधन की चर्चाएं आम होने तो लगीं लेकिन आतंकी हमलों के कारण स्थाई होने से पहले बिखर गयी।

इधर देश में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक सर्वथा नया और बेहद प्रभावी मुद्दा मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट वकील अनिल मिश्रा ने उठाया है । अप्रत्याशित रूप से तथ्यों को हाथ में लेकर वे देश के सामने आये और घोषणा कर दी कि जिन डा. भीमराव अम्बेडकर को सभी पार्टियां कंधों पर उठाये घूमती रहीं हैं असल वे संविधान निर्माता नहीं हैं। असल संविधान निर्माता हैं बी एन राव। ये मुद्दा उठते ही सवर्ण आर्मी के नाम पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एक छतरी के नीचे आ गये।

प्रतिक्रिया होनी ही थी। भीम आर्मी ने सामना करने की घोषणा कर दी। प्रशासन सक्रिय हुआ और दोनों आर्मी को किसी भी तरह के प्रदर्शन से रोक दिया। इधर ख़बर आई कि यू पी में सर्वसमाज सनितन पार्टी का गठन होकर उसकी गतिविधियों ने आकार लेना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर जो दृश्य उभर रहा है वो ये है देश जातीय जकड़न से बाहर आने को संकल्पित दिखाई दे रहा है।

इस परिस्थिति में सर्वाधिक ख़ुश है तो समता आंदोलन है जिसने लगभग बीस सालों से जातीय आरक्षण को संविधानिक शुचिता से जोड़ कर पूरे भारत में जो अलख जगाई थी उसका सार्थक परिणाम सामने आता दिख रहा है।

जय समता विजय समता।

– योगेश्वर झाड़सरिया–

सवर्णों की ये चुप्पी वाली चीख

कल्पना कीजिए एक छोटे से गाँव की उस झोपड़ी को, जहाँ सुबह की पहली किरण से पहले ही एक लालटेन जल उठती है। वो लालटेन नहीं, एक सपने की लौ है, जो 12 साल के रामू की आँखों में जलती है। रामू, एक सवर्ण परिवार का बेटा, जिसके पिता रामलाल दिन-रात खेतों में हल जोतते हैं। उनकी पीठ पर सूरज की तपिश और रात की ठंड दोनों सहती हैं, ताकि बेटे की स्कूल फीस भर सकें। माँ घर-घर जाकर काम करती है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है ''बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा।''

रामू जानता है ये बलिदान। वो सुबह 4 बजे उठता है, लालटेन की मद्धिम रोशनी में किताबें खोलता है। बाहर मुर्गे की बांग, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक आवाज ''पढ़ाई से बाहर निकलना है इस गरीबी से।''

स्कूल दूर है, 5 किलोमीटर पैदल। रास्ते में कीचड़, बारिश में फिसलन, लेकिन रामू नहीं रुकता। क्लास में वो सबसे आगे बैठता है, सवाल पूछता है, जवाब देता है। टीचर कहते हैं, ''तू तो प्रतिभाशाली है, इंजीनियर बनेगा।'' घर लौटकर वो फिर पढ़ाई। बिजली नहीं आती, लालटेन ही सहारा। पिता की थकी आँखें देखकर वो और जोर लगाता है। ''बाबूजी, मैं मेडिकल कॉलेज जाऊँगा, आपका इलाज करूँगा।'' पिता मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल में जानते हैं गरीबी का बोझ कितना भारी है। फसल अच्छी नहीं हुई तो फीस कहाँ से भरेंगे फिर भी वे हल चलाते रहते हैं, सपने जोड़ते रहते हैं।

समय बीतता है। रामू 12वीं में पहुँचता है। बोर्ड एग्जाम में 95 प्रतिशत लाता है। गाँव में जश्न! पड़ोसी कहते हैं, ''सवर्ण का बेटा ए मेहनत से जीतेगा।'' लेकिन फिर आता है वो पल - नीट या जेईई का रिजल्ट। रामू की रैंक अच्छी, लेकिन सीट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसका सरनेम ''शर्मा'' है, सवर्ण है। कोई दूसरा, जिसके 60 प्रतिशत हैं, लेकिन आरक्षित श्रेणी से, वो सीट ले जाता है। रामू की आँखें भर आती हैं। ''मेरा कसूर क्या है, बाबूजी'? मैंने तो रात-दिन एक कर दिया। पिता की आँखें भी नम, लेकिन कहते हैं, ''बेटा, ये व्यवस्था है।''

> ये पीड़ा सिर्फ रामू की नहीं, लाखों सवर्ण बच्चों की है। वे जो गरीब हैं, लेकिन 'सामान्य' कहलाते हैं। आरक्षण के नाम पर उनका हक छीना जाता है। क्या न्याय है ये? एक तरफ मेहनत की मिसाल, दूसरी तरफ सरनेम की सजा। सवर्ण परिवारों में ये दर्द पीढ़ीयों से चला आ रहा है।

ये पीड़ा सिर्फ रामू की नहीं, लाखों सवर्ण बच्चों की है। वे जो गरीब हैं, लेकिन 'सामान्य' कहलाते हैं। आरक्षण के नाम पर उनका हक छीना जाता है। क्या न्याय है ये? एक तरफ मेहनत की मिसाल, दूसरी तरफ सरनेम की सजा। सवर्ण परिवारों में ये दर्द पीढ़ीयों से चला आ रहा है। दादा-परदादा ने मेहनत की, लेकिन आज बेटे-बेटियाँ टूट रही हैं। शहरों में कोचिंग सेंटरों में सवर्ण छात्र रात-रात जागते हैं, लेकिन सीटें आरक्षित हो जाती हैं। एक लड़की, प्रिया, जिसके पिता मजदूर हैं, 98 प्रतिशत लाती है, लेकिन एमबीबीएस की सीट किसी 55 प्रतिशत वाली को। प्रिया रोती है, 'मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, माँ की बीमारी ठीक करनी थी। अब क्या करूँ'? माँ चुपचाप आँसू पोछती है, क्योंकि वो जानती है - सवर्ण होना अभिशाप बन गया है।

इस अन्याय ने कितने सपनों को कुचल दिया। सवर्ण युवा डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ आत्महत्या तक कर लेते हैं। समाचारों में पढ़ते हैं - 'मेरिट वाला छात्र सीट न मिलने से टूटा।' लेकिन कौन सुनता है उनकी पुकार? सरकारें वोट बैंक के लिए आरक्षण बढ़ाती जाती हैं, लेकिन सवर्ण गरीबों की पीड़ा कौन देखता है? वे जो सदियों से मेहनत करते आए, आज हाशिए पर। रामू अब क्या करेगा? प्राइवेट कॉलेज फीस लाखों में, पिता की कमर टूट जाएगी। या कोई छोटी नौकरी, सपना तो डॉक्टर का था।

सवर्णों की ये चुप्पी वाली चीख। वे शिकायत नहीं करते, बस सहते जाते हैं। लेकिन कब तक? क्या कभी न्याय होगा? हाँ मेरिट की कद्र हो, सरनेम की नहीं। रामू की आँखों में वो लालटेन अब बुझ सी गई है। पिता के हाथों में हल अब भारी लगता है। और माँ वो बस प्रार्थना करती है- 'भगवान, मेरे बच्चे का हक मत छीनना।' लेकिन हक तो छिन ही रहा है, रोज।

ये कहानी नहीं, हकीकत है लाखों सवर्ण परिवारों की। पढ़ने वाला अगर रो न दे, तो दिल पत्थर का होगा। क्योंकि ये पीड़ा सिर्फ शब्द नहीं, खून के आँसू हैं।

> सवर्णों की ये चुप्पी वाली चीख। वे शिकायत नहीं करते, बस सहते जाते हैं। लेकिन कब तक? क्या कभी न्याय होगा?

80 प्रतिशत अंक वाला बाहर हो जाता है और 40 वाला सेलेक्ट हो जाता है

आरटीयू के कुलपति व कोटा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने आरक्षण व्यवस्था पर उठाए सवाल

कोटा शहर के दो शिक्षाविदों ने आरक्षण व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाए हैं। आरटीयू के कुलपति डॉ. एनपी कौशिक ने कहा कि आरक्षण की वजह से 80 फीसदी मार्क्स वाले स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं और 40 फीसदी वाला सेलेक्ट हो जाता है, वहीं रजिस्ट्रार संदीप सिंह चौहान ने कहा कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। जब जरूरत हुई तो हम डकैती डाल लेंगे।

ब्राह्मण कल्याण परिषद की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए आरटीयू के कुलपति डॉ. कौशिक ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में ब्राह्मण समाज के 80 से 90 प्रतिशत बच्चे शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। इसका कारण शिक्षित बच्चों के पास रोजगार नहीं होना है। इसका सबसे बड़ा कारण है आरक्षण।

यह कैसी नीति है कि 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है और 40 प्रतिशत अंक वाला सेलेक्ट हो जाता है। वास्तव में यह विचारणीय प्रश्न है। यही नहीं आरक्षण में भी आरक्षण है, 50 प्रतिशत सीटें भरने के बाद भी यदि कोई आरक्षित वर्ग का स्टूडेंट अनारक्षित वर्ग वाले के बराबर अंक हासिल कर लेता है तो वह सीट भी आरक्षित वर्ग को मिल जाएगी।

पौराणिक कथन : ''काकुस्थ''

अयोध्यापति दशरथ उनके पूर्वज दिलीप और श्रीराम आदि सभी काकुस्थ कहलाते हैं।

निज को सदा सुरक्षित मानें,
आरक्षण आरक्षित बंदे।
सब चाहें वे करें बेहतरी–
पर वे करते उल्टे धंधे ।।

कविता

ढिठाई

सुबह का सूरज तपते तपते,
शाम को थककर ढल जाता है।
जीवन में हर जीव देखना,
दुखी रहकर भी पल जाता है।।
लेकिन देखो आरक्षितों को,
होशियारी को समझ न पाए।
साल पिचहत्तर के उत्तर में,
सारे दीखते हैं बौराए।
उन जनों को अब बोलें भी क्या,
समझ से उनका बल जाता है।
सुबह का सूरज तपते तपते,
शाम को थककर ढल जाता है।
बहुत पढ़ाया कि सही सिखाया,
वे कोई अहसान कब मानें।
दुष्टों को हम जो भी पढाएं,
वे सज्जनता नहीं ही जानें।
चाहे खुशी बाटें सब मिलकर,
सभी ये उनको खल जाता है।।
सुबह का सूरज तपते तपते,
शाम को थककर ढल जाता है।
विधि व्यवस्था या संविधान को,
वे ठेंगा सरे आम दिखाएं।
सारे नेता सभी पार्टियां,
चरण में उनके झुक झुक जाएं।
सिस्टम सही करना चाहे पर,
इनकै ढंग ही ढल जाता है।।
सुबह का सूरज तपते तपते,
शाम को थककर ढल जाता है।
जीवन में हर जीव देखना,
दुखी रहकर भी पल जाता है।।

– नूपुर जैमिनि–

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

सरकार को संविधान के दोनों मौलिक सिद्धांतों पर साथ-साथ ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन की कुशलता और सभी के लिए अवसर की समानता। न्यायमूर्ति ए.पी.सैन ने कहा कि ''संविधान की प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं समानता की बात की गई है।'' सामाजिक न्याय एवं समानता का लक्ष्य प्राप्त करते समय सरकार को सभी के हितों को समान रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सरकार द्वारा किए गए अनुपयुक्त और पक्षपातपूर्ण प्रावधान से सामाजिक ढांचा धीरे-धीरे कमजोर हो जाएगा।

अनुच्छेद 16(4) में प्रयुक्त शब्दों की ओर संकेत किया है-यदि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य किसी समूह या वर्ग के लिए आरक्षण देश की कुल जनसंख्या में उसके अनुपात के अनुसार करने का होता तो वे स्वयं ये शब्द जोड़ सकते हैं-'के अनुपात में'।

एक ओर तो सरकारें लगातार घोषणा करती रहती हैं कि वे आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना सुनिश्चित कराएंगी, जबकि सरकारों द्वारा कार्यपालिका और विधायिका : दोनों ही स्तरों पर की जाने वाली काररवाई - जिसमें मलाईदार परत को बाहर नहीं किया जाता बल्कि पिछड़े वर्ग की सूची में और भी जातियों को शामिल कर लिया जाता है - से आरक्षण की व्यवस्था में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है।'

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने जाति-आधारित आरक्षण पर आशंका प्रकट करते हुए लिखा था कि ''इससे एक ओर तो जातिप्रथा को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी ओर, हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों के लोगों को आरक्षण के प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकेगा; जबकि उनमें भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं।''

यह एक मूलभूत विषय है, जिस पर हमें विचार करना चाहिए। फिलहाल आइए देखें, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में और बार-बार निम्नलिखित निर्देश दिए हैं - मलाईदार परत की पहचान की जानी चाहिए।

पहचान की यह प्रक्रिया और परिणामस्वरूप उसका बहिष्कार-सब कुछ यथार्थ होना चाहिए। अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आय एवं अन्य कारकों का निरर्थकता की हद तक 'उच्च स्तर' प्रस्तुत करके उस शर्त का अपवंचन करने का प्रयास करने के लिए बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा था कि ''इन सरकारों ने मंडल मामले में बनाए गए कानून का पूरा-पूरा उल्लंघन किया है।''

इस मलाईदार परत की पहचान का कार्य उद्देश्यमूलक होना चाहिए। - इसमें विभिन्न मामलों में अग्रणी वर्ग की पहचान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। - इस प्रकार तैयार की गई सूची की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। एक बार पिछड़ा तो हमेशा पिछड़ा-यह सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है।

संविधान के मूल प्रारूप के अनुच्छेद 10 - जो आरक्षण से सम्बन्धित था - के प्रावधान पर संविधान सभा में अपने भाषण में डॉ. अंबेडकर ने स्वयं आगाह किया था कि समानता का सिद्धांत या कानून कहीं इतना व्यापक न हो जाए कि वह पूरे सिद्धांत या कानून को ही निगल जाए।

''आरक्षण की सीमा निर्धारित करना मूल रूप से सरकार के निर्णय-क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सरकार के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वस्तुत: आरक्षण का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाना ही होना चाहिए।

'' हालांकि उन्होंने सचेत भी किया कि पदोन्नति में आनुपातिक आरक्षण लागू करते समय सरकार को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि इससे प्रशासन की कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ''यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि प्रशासन की कुशलता और सक्षमता सर्वोपरि है, उसकी उपेक्षा करके किसी तरह का आरक्षण का भी प्रावधान नहीं किया जा सकता।

''अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को दिये जाने वाले समानता के मौलिक अधिकार का अपवाद है; और किसी मौलिक अधिकार के अपवाद को इतने व्यापक अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए कि उससे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होने लगे।''

अनारक्षित पदों पर भर्ती किये गये आरक्षित कार्मिकों की पदोन्नति पर रोक लगाई जावें : समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने कार्मिक विभाग को पत्र लिख कर भेदभावपूर्ण, अनैतिक एवं अविधिक पदोन्नति कार्यवाही के लिए विरोध जताया है।

समता आन्दोलन समिति ने अपने पत्र में लिखा है कि अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 राज्य सरकार की सभी 120 सेवाओं में दिनांक 01.04.1997 से प्रभावी है जिसमें अजा अजजा को पदोन्नति में आरक्षण उनकी प्रतिनिधित्व सीमा जो राजस्थान मे क्रमश: 16 व 12 प्रतिशत नियत है, तक सीमित कर उसके बाद प्रतिस्थापन का सिद्धांत लागू किया गया है।

इस अधिसूचना का अतिलंघन करते हुये राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा उनकी क्षमता के परे पत्र दिनांक 13.09.2013 दिनाक 17.09.2017 जारी किये गये

जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11. 09.2011 लगभग निष्प्रभावी हो गई है। राज्य सरकार द्वारा अब लगभग सभी विभागों में अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की पारिणामिक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाकर उनका उच्चतर पदों पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व बढा कर 2011 के पूर्व की परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं।

पूर्ववर्ती राज्य सरकारों के द्वारा एवं वर्तमान सरकार के द्वारा इस वर्ग प्रतिनिधित्व असंतुलन के कारणों का विश्लेषण नही किया गया वस्तुत: प्रत्येक भर्ती के समय वर्ग प्रतिनिधित्व का अनुसरण किया जाना चाहिये परंतु सरकारों के द्वारा पूर्व में अनावश्यक बैकलोग भर्ती कर एवं निर्धारित प्रतिशत से अधिक विभिन्न पदों पर भर्ती कर आनुपातिक असंतुलन कर आपराधिक षडयंत्र किया गया है।

-: प्रमुख मांगे :-

*** कर्मचारियों अधिकारियों की पदोन्नति के कम में 11.09.2011 की अधिसूचना की कियान्विति सुनिश्चित करावें ।**

*** भर्ती में अनारक्षित पदों पर भर्ती किये गये आरक्षित कर्मचारियों - अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक लगाई जावें । उनको बर्खास्त किया जायें।**

*** ऐसे कर्मचारियों को समेकित निधि से अनारक्षित कर्मचारियों-अधिकारियों के एवज में अभी तक भुगतान किये गये वेतन भत्तों की वसूली की जाये ।**

राजकीय सेवाओं में यदि भर्ती के समय ही 16:12: 72 का अनुपात संधारित किया जाता तो ऐसी असंतुलन की स्थिति प्रस्तुत नहीं हो सकती थी इस प्रकार इस असंतुलन के लिये तत्कालीन सरकारें एवं तत्कालीन अधिकारी दोषी हैं जिसका दुष्परिणाम अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी अधिकारी बिना पदोन्नति प्राप्त किये सेवानिवृत होकर भोग रहे है।

सरकार द्वारा उक्त प्रकार से आनुपातिक असंतुलन कायम कर भर्तीयों में निर्धारित प्रतिशत से अधिक आरक्षित वर्ग की भर्ती की त्रुटियों का सुधार करने के स्थान पर अब अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति की जा रही है।

प्रजा एक बार गलती को माफ कर सकती है परंतु बार बार गलती को माफ किया जाना संभव नहीं है। यह स्पष्ट रूप से आरक्षण व्यवस्था के नाम पर न्याय व्यवस्था एवं संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है । इस संबंध में समय समय पर विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों, प्रशासनिक सचिवों, एवं मुख्य सचिव को ज्ञापन दिये जा चुके हैं । परंतु विभागों द्वारा माननीय न्यायालयों के आदेशों का अपने दृष्टिकोण से विश्लेषण कर भर्ती स्तर पर भूतकाल में की गई गल्तियों का दोहरान कर वर्ग वार असंतुलन निरंतर बढाया जा रहा है इससे अनारक्षित वर्ग के कर्माचारियों में संभी राजकीय सेवाओं में असंतोष बढ रहा है।

समता आन्दोलन समिति ने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि:-

1. कर्मचारियों अधिकारियों की पदोन्नति के कम में 11.09.2011 की अधिसूचना की कियान्विति सुनिश्चित करावें ।
2. भर्ती में अनारक्षित पदों पर भर्ती किये गये आरक्षित कर्मचारियों - अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक लगाई जावें । उनको बर्खास्त किया जायें। ऐसे कर्मचारियों को समेकित निधि से अनारक्षित कर्मचारियों-अधिकारियों के एवज में अभी तक भुगतान किये गये वेतन भत्तों की वसूली की जाये ।

अन्यथा हम आंदोलन के मार्ग पर अग्रसर होने के लिये विवश हो जायेंगे ।

100 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बाद भी नहीं मिली नौकरी, हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने के खिलाफ एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में करनाल निवासी मोनिका ने प्रतियोगी परीक्षा की लिखित परीक्षा में 100 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे लेकिन उसे राज्य की बिजली वितरण कंपनी में जूनियर सिस्टम इंजीनियर के पद पर नहीं चुना जा सका।

लड़की ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षा में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बाद भी उसे नौकरी से वंचित करना समानता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए जेएसई के 146 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया था और अपेक्षित योग्यता निर्धारित की थी। चयन मानदंड के अनुसार 90 अंक की परीक्षा होनी थी और सामाजिक आर्थिक मानदंड में आने वालों को 10 अंक दिए जाने थे।

* लिखित परीक्षा में 84 से 89 तक कम अंक हासिल करने वालों का सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत हो गया था चयन

* सामान्य श्रेणी की लड़की को सौ फीसद अंक मिलने के बाद भी सामाजिक आर्थिक तौर पर दिए जाने वाले आरक्षण के कारण नहीं मिली थी नौकरी

27 फरवरी 2021 को वह लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुई थी जो आनलाइन आयोजित की गई थी और लिखित परीक्षा में कुल 90 अंकों में से 90 अंक हासिल किए थे। दस्तावेजों की जांच के लिए याचिकाकर्ता का नाम शार्टलिस्ट किया गया था।

हालांकि 22 अप्रैल 2021 को अंतिम चयन सूची घोषित होने पर याचिकाकर्ता को हैरानी हुई कि लिखित परीक्षा में 100 प्रतिशत अंक हासिल करने के बावजूद उसका चयन नहीं हो सका। उसे पता चला कि उसका चयन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि सामान्य वर्ग के कट-आफअंक 93 अंक थे और सामान्य वर्ग के लिए प्रतीक्षा सूची 92 अंक निर्धारित की गई थी।

लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए सामाजिक आर्थिक मानदंडों के कारण याचिकाकर्ता को चयन सूची में जगह नहीं मिल सकी। इस श्रेणी के तहत उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 अंक दिए जाते हैं जो विधवा, अनाथ या उम्मीदवार के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ता की तुलना में लिखित परीक्षा में 84 से 89 तक बहुत कम अंक हासिल करने वालों को सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत अतिरिक्त अंक प्राप्त करने वालों का चयन हो गया। याची ने हाई कोर्ट से जेएसई पद के लिए घोषित 22 अप्रैल, 2021 के परिणाम को रद करने की मांग की है।

याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह न्याय के हित में एक मेधावी उम्मीदवार होने नाते उसे जेएसई के पद पर चयन के आदेश जारी करे।

उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग से ज्यादा हुए आरक्षित वर्ग के छात्र

नई दिल्लीए आइएएनएस: लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि देशभर के कालेज और यूनिवर्सिटी में संख्या के लिहाज से सामान्य वर्ग के छात्रों का दबदबा है। लेकिन पिछले दशक में एक बड़ा बदलाव आया है और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का असर दिखने लगा है। इसी का नतीजा है कि आरक्षित वर्ग के छात्रों ने कालेज और यूनिवर्सिटी में नामांकन के मोर्चे पर सामान्य वर्ग के छात्रों को पीछे छोड़ दिया है। अब कालेज और यूनिवर्सिटी में 100 में से 60 से अधिक छात्र अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति-अन्य पिछड़े वर्गों से आ रहे हैं।

आइआइएम उदयपुर के सेंटर फार डेवलपमेंट पालिसी एंड मैनेजमेंट एआइएसएई के आंकड़ों से पता चलता है अब उच्च शिक्षा में एससीए एसटीए ओबीसी के लिए अवसरों की उपलब्धता अब कोई मुद्दा नहीं है। यह अब औसत से ऊपर है। अब फोकस यह सुनिश्चित करने पर होना चाहिए कि क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले अपने से कमजोर लोगों के अवसरों को न हथिया लें।

-त्यागराजन, सह लेखक

द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति-अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों की नामांकन में संयुक्त हिस्सेदारी वर्ष 2010-11 में 43.1 प्रतिशत थी। वर्ष 2022-23 में यह तेजी से बढ़कर 60.8 प्रतिशत पर पहुंच गई है। वर्ष 2023 में आरक्षित वर्गों के छात्रों का नामांकन सामान्य गर्गों के छात्रों से 95 लाख अधिक का है। वहीं, सामान्य वर्ग के छात्रों की नामांकन में हिस्सेदारी 2011 में 57 प्रतिशत थी, जो 2023 में गिरकर 39 प्रतिशत पर आ गई है। रिपोर्ट में पूर्व प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई के उस बयान का भी जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने एससी और एसटी वर्ग के लिए भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा था कि अगर आरक्षण का फायदा बार-बार एक ही परिवार को मिलता रहेगा, तो एक वर्ग के अंदर वर्ग उभरेगा। आरक्षण का लाभ उन लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए, जिनको इसकी सही मायने में जरूरत है।

:: एक प्रस्ताव ::

श्रीमान, मेरी दिल्ली आयकर विभाग में आठ दिसंबर को हुई बैठक के दौरान यह मांग उठी थी कि समता की ओर से एक वार्षिक कैलेंडर छपवाकर उन्हें दिया जाये। वो लोग कन्ट्रीब्यूट करने को भी तैयार हैं।

इस प्रस्ताव को थोड़ा व्यापक रूप देने के लिए अपने इन कैलेंडर की संख्या 5000 प्लस रखने का विचार है। सक्रिय जिला, तहसील, प्रकोष्ठ, प्रदेश इकाइयों को 50-50 कैलेंडर निशुल्क वितरण के लिए दिये जायें। इससे अतिरिक्त मांग होने पर उन्हें 25 रू. प्रति कैलेण्डर की दर (लागत मूल्य) से सप्लाई किए जायें। अपने पहले भी एक बार कैलेंडर छपवा चुके हैं, लोगों ने बड़ा पसंद किया था। इस कैलेंडर में प्रत्येक पृष्ठ के निचले हिस्से को तीन हिस्सों में विभाजित करते हुए वनथर्ड, वनथर्ड हिस्से पर दो दो विज्ञापन प्रत्येक (21-21000 रू. के) छापने के प्रयास किए जाएं। इसमें से 80 प्रतिशत राशि विज्ञापन लाने वाली जिला तहसील प्रकोष्ठ राज्य इकाई को शेष 20 प्रतिशत राशि जयपुर-दिल्ली इकाई के लिए आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है। नीचे की ओर बची शेष वनथर्ड जगहों पर प्रत्येक पृष्ठ समता आन्दोलन की ओर से संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी जावें।

उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति और असहमति के लिए सूचित करने की कृपा करे। कोई सुझाव हो तो संक्षेप में लिखकर भेजने का अनुग्रह करें। सादर।

निवेदक: पाराशर नारायण शर्मा, अध्यक्ष, समता आन्दोलन।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in